UPRB010038802026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, रायबरेली।

पीठासीन अधिकारी–(अमित पाल सिंह), (उच्चतर न्यायिक सेवा)– UP05691

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1650/2026

धर्मवीर पुत्र गिरजा शंकर, निवासी ग्राम बरेण्डा, थाना अरोल, जिला कानपुर नगर।

....प्रार्थी/अभियुक्त

प्रति

उ०प्र०राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) रायबरेली।

...विपक्षी/अभियोगी।

15–07–2026

आवेदक–अभियुक्त धर्मवीर की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र अपराध संख्या **139/2026**, धारा–**285,105, 125(बी)** भारतीय न्याय संहिता 2023, थाना **सलोन**, जिला **रायबरेली** के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन कथानक प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार संक्षेप में इस प्रकार है कि अभियोगी राजेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र हरिहर सिंह, निवासी ग्राम व पोस्ट भीलपुर, थाना सुजानगंज, जिला जौनपुर का निवासी है। कल दिनाँक 26.05.2026 को उसके परिवार के लोग दिल्ली से स्कार्पियो यू0 पी0–32 आर 0 ए 0 6003 से घर आ रहे थे कि समय 7:30 बजे शाम को गंगा एक्सप्रेसवे पर मीरजहांपुर, थाना सलोन, जनपद रायबरेली एक्सप्रेसवे के 541 के0 एम 0 के पास अचानक ट्रैक्टर ट्राली जिस पर डी0 आई 0 PREET 4049 ENGINE NO. P340–00240 CHASIS NO–0109403415 अंकित है, कलर नीला है व ट्राली नीली जिस पर जय बजरंग बली भी लिखा हुआ है जो कि रोड पर लापरवाही पूर्वक खड़ा था जिससे उसकी स्कार्पियो उपरोक्त बचाते–बचाते टकरा गयी जिसमें सरोज सिंह पत्नी राजेन्द्र प्रताप सिंह उम्र करीब 20 वर्ष निवासीगण उपरोक्त को मौके पर से एक्सप्रेसवे की एमबुलेंस से सीएचसी संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ ले गये। जहाँ पर डाक्टरों ने सरोज सिंह, समृद्धि सिह, व संगीता सिंह को मृत घोषित कर दिया गया एवं गाड़ी में सवाल अन्य लोग नीरज कुमार सिंह, गुरूचरन सिंह, सविता सिंह, प्रतिभा सिंह, समर्थ सिंह निवासीगणग उपरोक्त को काफी चोटें आई हैं जिनका इलाज एम्स रायबरेली में चल रहा है।

आवेदक–अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा केस डायरी व अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर बल देते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है अभियुक्त उक्त ट्रैक्टर ट्राली का ना तो मालिक व स्वामी है और ना ही वह चालक है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार स्कार्पियो ने खड़े ट्रैक्टर व ट्राली से एक्सीडेन्ट किया है जिससे दुर्घटना वश मृत्यु हुई है व चोटे आयी हैं। उक्त कथित दुर्घटना से अभियुक्त का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है बल्कि पुलिस व स्कार्पियो व ट्रैक्टर मालिक की मिली भगत से किसी अन्य को बचाने हेतु अभियुक्त को उक्त अपराध में पकड़ कर जेल भेज दिया गया है। अभियुक्त की आयु मात्र 19 वर्ष है तथा वह मजदूरी करता है और मजदूरी से प्राप्त होने वाली आय से अपना और अपने माता पिता का गुजर बसर करता है। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नही है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है इसके अतिरिक्त सत्र न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय में कोई जमानत प्रार्थना पत्र विचाराधीन नहीं है। अभियुक्त का अधीनस्थ न्यायालय में जमानत प्रा.पत्र दिनांक 08.06.2026 को खारिज कर दिया

गया है। अभियुक्त जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। अभियुक्त जमानत दाखिल करने को तैयार है। तद्नुसार आवेदक–अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का अनुरोध किया गया।

अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), रायबरेली द्वारा जमानत का विरोध किया गया है कि आवेदक–अभियुक्त की प्रश्नगत घटना में पूर्ण संलिप्तता पायी गयी है। जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त होने योग्य है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने यह बचाव लेने का प्रयास किया गया है कि अभियुक्त को प्रस्तुत प्रकरण में झूठा फंसाया गया है क्योंकि प्रार्थी–अभियुक्त ना तो प्रश्नगत ट्रैक्टर–ट्राली का स्वामी है और ना ही चालक है। इसी प्रकार प्रार्थी–अभियुक्त दूसरे वाहन स्कार्पियो UP32RA6003 का ना तो ड्राइवर है और ना ही मालिक है। स्कार्पियो के चालक द्वारा सड़क पर खड़े ट्रैक्टर ट्राली से एक्सीडेन्ट किया गया है जो मात्र एक दुर्घटना है और उसी में चोटें आई हैं और मृत्यु हुई है। प्रार्थी–अभियुक्त को उक्त दोनों वाहनों के स्वामियों की मिलीभगत से प्रस्तुत प्रकरण में नामित किया गया है। प्रार्थी–अभियुक्त कानपुर नगर का निवासी है और वह मात्र गंगा एक्सप्रेसवे पर ठेकेदारों के अण्डर मजदूरी का कार्य करता रहा है परन्तु प्रश्नगत घटना के पहले ही उसके द्वारा मजदूरी न मिलने के कारण उक्त कार्य छोड़ दिया था।

जहाँ तक प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा उपरोक्त लिये गये बचावों का प्रश्न है अभियोजन कथानक व विवेचक द्वारा अब तक एकत्र साक्ष्य के अनुसार प्रश्नगत ट्रैक्टर गंगा एक्सप्रेसवे पर गलत स्थान पर खड़ा हुआ था जिसके कारण प्रश्नगत दुर्घटना कारित हुई और ट्रैक्टर स्वामी व उसके पुत्र के अनुसार ट्रैक्टर संविदा पर दिया हुआ था और उक्त का चालक प्रार्थी–अभियुक्त ही प्रश्नगत घटना के समय था। प्रश्नगत घटना में तीन व्यक्तियों की मृत्यु हुई है तथा अन्य लोग चोटिल भी हुए हैं और स्वीकृत रूप से प्रश्नगत घटना के समय गंगा एक्सप्रेसवे पर वाहन चलाने की अनुमति नहीं थी और उक्त घटना का मुख्य कारण प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा ही अपने ट्रैक्टर ट्राली को गलत स्थान पर खड़ा किया जाना संदर्भित किया गया है। उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये आवेदक–अभियुक्त को जमानत दिये जाने के पर्याप्त आधार नही पाया जाता है। तदानुसार आवेदक–अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक–अभियुक्त **धर्मवीर** की ओर से अपराध संख्या **139/2026**, धारा–**285,105, 125(बी)**भारतीय न्याय संहिता 2023, थाना सलोन, जिला रायबरेली के मामले में प्रस्तुत नियमित जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

(अमित पाल सिंह)
UP05691
सत्र न्यायाधीश, रायबरेली।
15.07.2026

Suraj sharma
Stenographer

Digitally signed by AMIT PAL SINGH
Date: 2026.07.15 17:02:39 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Raebareli